## प्रपत्र 4

## (देखे विनियम 6 का उपबन्ध 1 (ग) 2 (क) एवं 3 (क)) राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुमाग–1 संख्या– ।) २ 7- /96-आयुष–1–2020–324/2018 दिनांक– । ४ मार्च, 2020

सेवा में,

सचिव, नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, नवलपुर, आगरा–283206, उ०प्रठ।

विषय:

नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, नवलपुर, आगरा में बी०ए०एम०एस० पाठ्यकम संचालित किये जाने हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैद्यता बढ़ाये जाने के संबंध में।

सन्दर्भः

प्रमुख सचिव, आयुष अनुभाग—1, 4वॉ तल, शास्त्री भवन सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को संबोधित सचिव, श्री भगवान महावीर (जैन माइनोरिटी) एजूकेशनल सोसाइटी, 1108, बसेरा हाइट्स, फतेहाबाद रोड, जेपी पैलेस होटल के सामने, कलाल खेरिया, आगरा उ०प्र० का पत्र दिनांक 04.02.2020।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एन०ए०एम०सी०/2020/02-2953; दिनांक 04.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, नवलपुर, आगरा में बी०ए०एम०एस० पाठ्यकम संचालित किये जाने हेतु 100 सीटों पर राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन के आयुष अनुभाग—1 के पत्र संख्या—81मु०स०/96—आयुष—1—2018—324/2018; दिनांक 30.07.2018 जारी किया गया था।

उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तर-2 में यह उल्लिखित किया जाता है कि "अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैद्यता

तिथि पत्र निर्गमन की तिथि 30.07.2018 से 03 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।"

3— शासन के पत्र संख्या—81मु0स0/96—आयुष—1—2018—324/2018; दिनांक 30.07.2018 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

> (प्रशान्त त्रिवेदी) प्रमुख सचिव

## संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, सी०सी०आई०एम०, 61-65, भारतीय चिकित्सा पद्धति भवन, डी०-ब्लाक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 2— सिंचव, आयुष मंत्रालय, वी0—ब्लाक, आयुष भवन, भारत सरकार, जी०पी०ओ० काम्प्लेक्स, आई०एन०ए० नई दिल्ली।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4— कुलराचिव, डा० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
- 5— निदेशक, आयुर्वेद सेवायॅ, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यकम एवं मूल्यांकन), उ०प्र० लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद यादव) अनु सचिव।